

## कार्यालय जिलाधिकारी, आजमगढ़

संख्या- 103 / व्यवस्थापन / 2018-19 / आजमगढ़

दिनांक- 17 अप्रैल, 2018

### विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश सं० 9528-9592/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 दिनांक 19-04-2018 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु जनपद आजमगढ़ को तृतीय चरण की ई-लाटरी के पश्चात अवशेष देशी शराब की फुटकर दुकान का व्यवस्थापन ई-लाटरी द्वारा चतुर्थ चरण में सुसंगत नियमावलियों के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है-

1- इच्छुक आवेदक, आवेदन के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, हैसियत प्रमाण पत्र गतवर्ष, आयकर रिटर्न एवं शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप) में संलग्न करना होगा। यदि वह सह आवेदक के साथ आवेदन करता है तो सह आवेदक का विवरण भी भरना होगा। देशी शराब, विदेशी मदिरा के प्रति आवेदन पत्र की 15000/- प्रोसेसिंग फीस 0039 राज्य उत्पाद शुल्क, 00-8-000-508 में पोर्टल द्वारा स्वतः आनलाइन आहरित की जायेगी तथा उस पर प्रति आवेदन फार्म 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि विभागीय जी०एस०टी० एकाउन्ट में पोर्टल द्वारा आवेदक के खाते से स्वतः आहरित होते हुए देय होगी। दुकान हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि जिला आबकारी अधिकारी आजमगढ़ के नाम देय बैंक ड्राफ्ट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

2- आवेदक की उम्र 21 वर्ष से कम न हो।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की ई-लाटरी के पश्चात वर्ष 2018-19 हेतु अवशेष आबकारी दुकानों का विवरण निम्नवत् है-

### देशी शराब

क्र० सं०	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2018-19 का निर्धारित M.G.Q. (36%v/v) ब०ली० में	निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की M.G.Q.x 28	निर्धारित लाइसेंस फीस वर्ष 2018-19 M.G.Q.x 222	प्रतिभूति धनराशि वर्ष 2018-19 ला०फी० का 10%	धरोहर धनराशि	आवश्यक हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहदेवगंज	ग्रामीण	35640	997920	7912080	791208	99792	1485000

### आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया :-


1- ई-लाटरी प्रणाली से सम्बन्धित पोर्टल [upexciseelottery.gov.in](http://upexciseelottery.gov.in) पर किसी भी आवेदक को सर्व प्रथम अपने आप को पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के समय सर्वप्रथम उसको अपना आधार नं० एवं उसके नीचे दिया गया कैंप्चा भरना होगा। यह कार्य करते ही उसके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नं० पर ओ०टी०पी० प्राप्त होगा, जिसे उसको यथा स्थान भरना आवश्यक होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जायेगा जिसमें आवेदक को पैन नम्बर सहित कतिपय सूचनाएं भरनी होगी।

2- आवेदक के सफल पंजीकरण पर उसको एक रजिस्ट्रेशन आई०डी० एवं पासवर्ड उसके मोबाइल नं०/ई-मेल पर प्रेषित की जायेगी।


समय सारिणी :-

- 1- उपरोक्त जनपद आजमगढ़ की देशी शराब की 01 दुकान के आनलाइन आवेदन करने की अवधि 20-04-2018 को सांय 05:00 बजे से 24-04-2018 को रात्रि 11:30 बजे तक।
- 2- ई-लाटरी का दिनांक 26-04-2018 समय 10:00 बजे से।
- 3- ई-लाटरी का स्थल कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़ के बेवसाइट [azamgarh.nic.in](http://azamgarh.nic.in) पर दुकानों का विवरण उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी आजमगढ़ एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

  
(सुदर्शन सिंह)


जिला आबकारी अधिकारी  
आजमगढ़।

  
(शिवाकान्त द्विवेदी)  
जिलाधिकारी  
आजमगढ़।

संख्या- 104-09 / आ०लि० / व्यवस्थापन-2018-19

दिनांक- अप्रैल, 2018

- प्रतिलिपि- 1- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 26-04-2018 को होने वाली सार्वजनिक ई-लाटरी में चयन समिति के सदस्य होने के कारण स्वयं उपस्थित रहते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आजमगढ़ को इस निर्देश से प्रेषित कि दिनांक 26-04-2018 को होने वाली ई-लाटरी सम्बन्धित समस्त तकनीकी व्यवस्था पूर्ण कराये।
- 3- नाजिर कलेक्ट्रेट, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 26-04-2018 को प्रातः 10:00 बजे से कलेक्ट्रेट परिसर स्थिति सभागार को आवंटित/आरक्षित करना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त तिथियों को सम्बन्धित से सम्पर्क रखते हुए समस्त कार्यवाही समय एवं सकुशल सम्पन्न कराये।
- 5- प्रधान सम्पादक हिन्दी दैनिक- दैनिक जागरण एवं अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति आगामी अंक में न्यूनतम सरकारी दर पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें एवं बिल जिला आबकारी अधिकारी आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करें।

  
(शिवाकान्त द्विवेदी)  
जिलाधिकारी  
आजमगढ़।